

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)

ज अदालत..... मुकाम.....

बनाम.....
मुकदमा नं. 111/128/2020 नं. 187/2020 सन्.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नघ्यर य तारीख अहकाम जो हुम हुकम की तारीख में जारी हुए
28.07.20	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलान्त के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/अम्द/अपील धारा राजस्थान कास्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08.09.2020 को पेश हो।</p>	
08/09/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी- गणों के नोटिस तामिल शुद्धा प्रत जिसे कामिल पत्रावली विप्रा गण। विप्रार्थी व वाक्जुड तामिल अनुउपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा डालवाही समल में लाई जाती है अतः वास्ते बचत पत्रावली दिनांक 21/09/2020 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>
21/09/20	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गण अनुउपस्थित। प्रार्थी के अधिपत्ता श्री वरुण सुनी गई प्रार्थी के अधिपत्ता कार वताप्रा श्री प्रार्थी व विप्रार्थी गणों के खालेदारी खेत पास पास आये हुए हैं प्रार्थी व विप्रार्थी गणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मार व डोरे आये हुए थे जो वर्तमान के अधिपत्ता श्री वरुण</p>	

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु



ये विवर गम है। जिसमें अभी भी अपने ये
 सेही का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अभी
 विभागीयों के मध्य ये सही हो लेना हमारा
 लक्ष्य बना रहता है। अभी भी अपने ये भी
 सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नैयामवली इ-
 बानी आवश्यक है इसलिए अभी का नैयामवली इ-
 इन स्वीकार किया जाकर नैयामवली को
 जावे। अतः अभी अधिवक्ता के निवेदन पर अभी
 का नैयामवली इ-इन स्वीकार किया जाकर ए-
 सीलदार गिना को इमिग्रेशन व सम्बन्धित सूक्ष्म-
 लेख निरिस्त हो सहायक इमिग्रेशन निष्कर्ष
 जाकर शीघ्र किया जाता है कि आप स्वयं या
 सहायक इमिग्रेशन से अभी के घातेजारी येलों की
 पन्ची नैयामवली मॉडल पर इमिग्रेशन शुल्क जमा-
 कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
 वापिस पत्रावली डौ। पत्रावली फॉर्मल सुमा होकर
 दर्ज नाकर से उम हो, वापिस करत डौ।

न्यायालय उपर
 दिनांक 20/06/2020
 पत्र संख्या - 187
 श्री उच्च न्यायालय
 न्यायाधीश
 न्यायाधीश

दिनांक 20/06/2020
 सहायक कलेक्टर
 (SDO) बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

आवेदन / 2020 / 675

दिनांक :- 22/09/2020

आवेदन संख्या -187 / 2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री लुम्बाराम पुत्र हरूराम वगैरा 3 जाति-मेघवाल, निवासी-कसुम्बला हरचंद, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर		श्री गिरधारीराम पुत्र पेमाराम वगैरा 10, निवासी-कसुम्बला हरचंद, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


आदेश


प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-कसुम्बला हरचंद, पटवौर मण्डल-कसुम्बला भाटियान, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 121/70 रकबा 36.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 676-680

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री लुम्बाराम पुत्र हरूराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री गिरधारीराम पुत्र पेमाराम वगैरा 10।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।


(विवेक व्यास) सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु
दिनांक :- 22/09/2020


उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु
सहायक कलेक्टर